

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COAL**

**LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 533
TO BE ANSWERED ON 20.07.2022**

Compensation to Coal Mine Workers

533. MS. MIMI CHAKRABORTY:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

- (a) whether the Government has any data on the number of mine workers died and injured during coal mining across the country during the last three years;
- (b) if so, the details for the last three years, State and year-wise;
- (c) whether the Government has provided any kind of compensation to the family of deceased worker; and
- (d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

**MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, COAL AND MINES
(SHRI PRALHAD JOSHI)**

(a)&(b): The details of number of mine workers died and injured during coal mining in the country in last three years is annexed.

(c)&(d): Yes Madam. Compensation is paid as per the Employees Compensation Act-1923 (Principal Act upto amended as on date) to the next of kin of the deceased worker. Coal India Ltd. (CIL) and Singareni Collieries Company Ltd. (SCCL) are provides the following compensation and other monetary relief etc. to the family of deceased who died in any mine accident arising out of and in course of employment.

In case of Departmental Employee –

1. Payment of compensation under the **Employee's Compensation Act 1923** (last amended vide notification S.O. 71 (E) dated January 3, 2020).
2. Employment is offered to the dependent of deceased departmental employee due to mine accident. In case there is no eligible person for employment, monetary compensation per month is paid to the family of the deceased in lieu of employment.
3. Rs. 15 lakhs is paid to the dependent of deceased departmental employee as a special relief / ex-gratia, which is in addition to the amount payable under the Employee's Compensation Act-1923 (amended upto 2020). (Amount revised vide Office Order dt 14.11.2019)
4. Immediate payment of lump sum amount (generally Rs 20,000) to the family of deceased for funeral, transport expenses etc.

5. Monetary benefits under Life Cover Scheme (LCS) of Rs 1,25,000/ w.e.f. 1.10.2017 as per NCWA-X.
6. Ex-gratia amount of Rs 90,000/ in case of death or permanent total disablement resulting on account of accident arising out of and in course of employment w.e.f 01.10.2017 as per NCWA-X.
7. Gratuity on the basis of the length of service as per the Payment of Gratuity Act, 1972.
8. Other benefits like P.F as per CMPF rule, Pension as per CMPS, 1998, Encashment of EL etc. as per company (CIL) rules.

In case of contractual Employee -

1. Payment of compensation under the **Employee's Compensation Act 1923** (last amended vide notification S.O. 71 (E) dated January 3, 2020).
2. Rs. 15 lakhs is paid to the dependent of deceased departmental employee as a special relief / ex-gratia, which is in addition to the amount payable under the Employee's Compensation Act-1923 (amended upto 2020). (Amount revised vide Office Order dt 14.11.2019)
3. Gratuity on the basis of the length of service.
4. Other benefits like P.F as per CMPF / EPF rule.

Annexure

**Details of mine workers died and injured in coal mining in the country during
2019 to 2021**

Year	State	Killed	Injured
2019	Chhattisgarh	8	10
2019	Jharkhand	11	12
2019	Madhya Pradesh	3	8
2019	Maharashtra	4	13
2019	Orissa	10	2
2019	Rajasthan	1	0
2019	Telangana	8	143
2019	Tamil Nadu	1	0
2019	Uttar Pradesh	2	1
2019	West Bengal	8	15
2020	Chhattisgarh	12	5
2020	Gujarat	0	1
2020	Jharkhand	9	16
2020	Madhya Pradesh	5	7
2020	Maharashtra	4	4
2020	Orissa	5	2
2020	Telangana	12	87
2020	Uttar Pradesh	0	3
2020	West Bengal	6	14
2021	Chhattisgarh	5	10
2021	Jharkhand	8	17
2021	Madhya Pradesh	7	16
2021	Maharashtra	4	6
2021	Orissa	2	3
2021	Telangana	13	129
2021	Tamil Nadu	0	1
2021	Uttar Pradesh	1	1
2021	West Bengal	11	12

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 533

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिकों को मुआवजा

533. सुश्री मिमी चक्रवर्ती:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास गत तीन वर्षों में देश में कोयला खनन के दौरान मारे गए और घायल हुए खान श्रमिकों की संख्या का कोई आंकड़ा है;
- (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का राज्य-वार और वर्ष-वार व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने मृतक श्रमिक के परिवार को किसी प्रकार का मुआवजा प्रदान किया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख) : पिछले तीन वर्षों में देश में कोयला खनन के दौरान मारे गए और घायल हुए खान श्रमिकों की संख्या का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) : जी, हां। मृतक कामगार के निकटतम संबंधी को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम-1923 (आज की तारीख तक संशोधित मूल अधिनियम) के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाता है। रोजगार से और इसके दौरान किसी भी खान दुर्घटना में मारे गए मृतक के परिवार को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा निम्नलिखित मुआवजा और अन्य वित्तीय राहत आदि प्रदान की जाती हैं:

विभागीय कर्मचारी के मामले में –

- कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत मुआवजे का भुगतान (पिछली बार अधिसूचना एस.ओ. 71 (ई) दिनांक 3 जनवरी, 2020 के माध्यम से संशोधित।
- खान दुर्घटना के कारण मारे गए विभागीय कर्मचारी के आश्रित को रोजगार दिया जाता है। यदि रोजगार के लिए कोई पात्र व्यक्ति नहीं है, तो मृतक के परिवार को रोजगार के बदले प्रति माह आर्थिक मुआवजा दिया जाता है।

3. मृतक विभागीय कर्मचारी के आश्रित को विशेष राहत / अनुग्रह राशि के रूप में 15 लाख रु. का भुगतान किया जाता है, जो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम-1923 (2020 तक संशोधित) के तहत देय राशि के अतिरिक्त है। (दिनांक 14.11.2019 के कार्यालय आदेश के माध्यम से राशि में संशोधन किया गया)।
- 4 अंतिम संस्कार, परिवहन खर्च आदि के लिए मृतक के परिवार को एकमुश्त राशि (सामान्यतः 20,000 रुपए) का तत्काल भुगतान।
5. एनसीडब्ल्यूए-एक्स के अनुसार 1.10.2017 से लाइफ कवर स्कीम (एलसीएस) के तहत 1,25,000/- रुपए का वित्तीय लाभ।
6. एनसीडब्ल्यूए-एक्स के अनुसार 01.10.2017 से रोजगार से और इसके दौरान हुई दुर्घटना के कारण मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता के मामले में 90,000/- रुपए की अनुग्रह राशि।
7. उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार सेवा की अवधि के आधार पर उपदान।
8. अन्य लाभ जैसे सीएमपीएफ नियम के अनुसार पीएफ, सीएमपीएस, 1998 के अनुसार पैशन, कंपनी (सीआईएल) नियमों के अनुसार ईएल का नकदीकरण आदि।

सर्विदा कर्मचारी के मामले में -

1. कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत मुआवजे का भुगतान (पिछली बार अधिसूचना एस.ओ. 71 (ई) दिनांक 3 जनवरी, 2020 के माध्यम से संशोधित)।
2. मृतक विभागीय कर्मचारी के आश्रित को विशेष राहत / अनुग्रह राशि के रूप में 15 लाख रु. का भुगतान किया जाता है, जो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम-1923 (2020 तक संशोधित) के तहत देय राशि के अतिरिक्त है। (दिनांक 14.11.2019 के कार्यालय आदेश के माध्यम से राशि में संशोधन किया गया)।
3. सेवा की अवधि के आधार पर उपदान।
4. सीएमपीएफ/ईपीएफ नियम के अनुसार पीएफ जैसे अन्य लाभ।

2019 से 2021 के दौरान देश में कोयला खनन में मारे गए और घायल हुए खान श्रमिकों का विवरण –

वर्ष	राज्य	मृत	घायल
2019	छत्तीसगढ़	8	10
2019	झारखंड	11	12
2019	मध्य प्रदेश	3	8
2019	महाराष्ट्र	4	13
2019	ओडिशा	10	2
2019	राजस्थान	1	0
2019	तेलंगाना	8	143
2019	तमिलनाडु	1	0
2019	उत्तर प्रदेश	2	1
2019	पश्चिम बंगाल	8	15
2020	छत्तीसगढ़	12	5
2020	गुजरात	0	1
2020	झारखंड	9	16
2020	मध्य प्रदेश	5	7
2020	महाराष्ट्र	4	4
2020	ओडिशा	5	2
2020	तेलंगाना	12	87
2020	उत्तर प्रदेश	0	3
2020	पश्चिम बंगाल	6	14
2021	छत्तीसगढ़	5	10
2021	झारखंड	8	17
2021	मध्य प्रदेश	7	16
2021	महाराष्ट्र	4	6
2021	ओडिशा	2	3
2021	तेलंगाना	13	129
2021	तमिलनाडु	0	1
2021	उत्तर प्रदेश	1	1
2021	पश्चिम बंगाल	11	12
